रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96 REGISTERED NO. D.L.-33001/96

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 14, 1996/अग्रहायण 23, 1918
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 14, 1996/AGRAHAYANA 23, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1996

सा.का.नि. 553—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल के इंजीनियरी संगठन में समूह "ग" (योधक) (तकनीकी कर्मचारिवृन्द) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरी संगठन (समह "ग" योधक तकनीकी कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1996 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उपबन्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य दावे वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 आरम्भिक गठन : इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व सीमा सुरक्षा बल के इंजीनियरी संगठन में समूह "ग" योधक पद धारण करने वाले अधिकारी तकनीकी कर्मचारिवृन्द इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

5. अनुरक्षण.—नियम 4 में यथा उपदर्शित आरम्भिक गठन के अध्यधीन रहते हुए, न भरा गया प्रत्येक ज्येष्ठ पद और उसके पश्चात् रिक्त होने वाला प्रत्येक पद, अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा।

2985 GI/95—1

सत्यापित

17-01-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

SCHEDULE-II

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Cocoa Powder

Definition of quality

Special requirements

Grade designation	Moisture content percent by mass (maximum)	Cocoa-fat (on moisture free basis) percent by mass (minimum)	Total ash (on moisture and fat-free basis) percent by mass (maximum)	Acid-insoluble ash (on moisture and fat-free basis) percent by mass (maximum)	Alkalinity of total ash as K_2O (on moisture and fat free basis) percent by mass (maximum)	Crude-fibre (on moisture and fat-free basis) percent by mass (maximum)
1	2	3	4	5	6	7
Grade-I (High fat)	7.0	20.0	8.0	0.2	6.0	7.0
Grade-II (Low fat)	7.0	10.0	12.0	0.5	6.0	7.0

General requirements

8

Cocoa Powder shall —

(a) be obtained by dehusking and partially defatting clean, sound and wholesome roasted beans of Cocoa (Theobroma cocoa (L). Alkalized cocoa powder may be produced by treatment of cocoa nibs or cocoa mass with solutions or suspensions of alkali, usually in the form of carbonates or bicarbonates of Sodium and Potassium, Calcium hydroxide or Ammonium Carbonate. In case of alkalized cocoa powder total ash (on moisture and fat-free basis, percent by mass may not exceed 12 percent);

(b) be in the form of free-flowing powder or such fineness that ninety-nine per cent of the material shall pass through 150 micron sieve;

(c) have characteristic colour, taste and flavour;

(d) be free from rancidity, off-flavour, mould growth, fungal contamination and insect infestation;

(e) be free from dirt, filth, deleterious substances, adulterant and added colouring matter;

(f) comply with the restrictions in regard to aflatoxin, metallic and other naturally occuring toxic substances contamination, insecticide residues and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 as amended from time to time.

[F.No. 18011/8/93-M.II]

PALAT MOHANDAS, Jt. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1996

सा. का. नि. 562 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल चिकित्सा विभाग (दंत सर्जन श्रेणी—II) भर्ती नियम 1969, का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति रेल चिकित्सा सेवा के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) ये नियम रेल चिकित्सा सेवा (दंत सर्जन) भर्ती नियम, 1996 कहलायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

सत्यापित

17-01-17

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

2. प्रयोज्यता :—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उन पदों के वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुरूप होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5—14 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुरूप होंगी।

5. अर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो, या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. रक्षा सेवा में सेवा करने का दायित्व :—उल्लिखित पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति का, यदि अपेक्षित हो तो किसी रक्षा सेवा अथवा भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर प्रशिक्षण पर लगाये गये समय, यदि कोई हो तो, उसके सहित चार वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए सेवा करने का दायित्व होगा ;

किन्तु शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति के लिए —

(क) ऐसी नियुक्ति की तारीख के दस वर्ष बाद उपरोक्त प्रकार की सेवा करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(ख) पैंतालीस वर्ष की आयु हो जाने के बाद उपरोक्त प्रकार की सेवा करना साधारणतया अपेक्षित नहीं होगा।

7. नियम शिथिल करने की शक्ति :—यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो वह किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को शिथिल कर सकती है।

8. संगणनीय सेवा :—जो व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत ऐसे पदों पर भर्ती किए जाएं और जिन पर रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 45 में निर्धारित शर्तें लागू होती हों, वे उक्त नियम के उपबन्धों के लाभ के पात्र होंगे।

9. अपवाद :—इन नियमों के उपबन्धों को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

रेल मंत्रालय, रेल विभाग

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
सहायक मंडल दंत सर्जन	7* (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है कनिष्ठ समय वेतन-मान तथा वरिष्ठ समय वेतनमान में पद 15 की संयुक्त संख्या में अंतर्बदली के आधार पर परिचालित किए जाएं।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित गैर-लिपिकीय	2200-75-2800-ई. बी. 100-4000 + निम्नलिखित दरों पर प्रेक्टिस बंदी भत्ता 3000 रु. से कम : 600 रु. प्रतिमाह 3000 रु. से अधिक लेकिन 3700 रु. से कम : 850 रु. प्रतिमाह

सत्यापित

17-01-19

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

4
3700 रु. से अधिक लेकिन 6000 रु. से कम 950 रु. प्रतिमाह

क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 45 के अधीन क्या सेवा के परिवर्धित वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है।
5	6	7
लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी 1. केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट। टिप्पणी 2. :—आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। (निर्धारित अंतिम तिथि नहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, लाहौल तथा स्पीती जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला का पांगी उप मंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के लिए।)	हां

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि है
8	9	10
अनिवार्य : (i) दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 16) की अनुसूची के भाग-I तथा II में शामिल डिग्री।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष

सत्यापित

17-01-19
सहायक नियन्त्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

8		
(ii) अस्पताल या प्राइवेट प्रेक्टिस में दंत कार्य का 3 वर्ष का अनुभव ।		
(iii) दंत परिषद में पंजीकृत होना चाहिए ।		
टिप्पणी :—1. यदि उम्मीदवार अन्यथा अर्हता प्राप्त हो तो संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय पर अर्हताओं में छूट दी जाती है ।		
2. यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में इन जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो इन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से छूट दी जा सकती है ।		
वांछनीय :—		
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से दंत शास्त्र में स्नातकोत्तर अर्हता		

सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती का तरीका तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है
11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं
टिप्पणी :	
अपग्रेडिड पद पर नियुक्ति के लिए 2200—4000 (संशोधित) के वेतनमान में इस पद के अपग्रेडेशन से पहले 650-1200 रु. के पूर्व संशोधित वेतनमान में सहायक मंडल दंत सर्जन के पद के नियमित धारक की उपयुक्तता आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। उपयुक्त निर्धारित किए जाने पर उन्हें पद पर नियुक्त समझा जाएगा। अनुपयुक्त निर्धारित किए जाने पर वे 2000—3500 रु. के संशोधित वेतनमान में काम करते रहेंगे तथा उनके मामले की हर वर्ष समीक्षा की जाएगी ।	

2985 GI/96—7.

सत्यापित

17-01-17

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	परिस्थितियां, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
13	14
ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार किए जाने के लिए) 1. संबंधित रेलवे का मुख्य कार्मिक अधिकारी —अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा निदेशक —सदस्य 3. मुख्य कार्मिक अधिकारी (भा.रे. अथवा समतुल्य ओहदे का अन्य विभागाध्यक्ष —सदस्य	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4
2. मंडल दंत सर्जन	8* (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। कनिष्ठ समय वेतनमान तथा वरिष्ठ समय वेतनमान में पद 15 की संयुक्त संख्या में अंतरबदली के आधार पर परिचालित किए जाएं।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित गैर-लिपिकीय	रु. 3000-100-3500-125-4500 + निम्नलिखित दरों पर प्रैक्टिस बंदी भत्ता 3000 रु. तथा अधिक परंतु 3700 रु. से कम—850 रु. प्रतिमाह 3700 रु. तथा अधिक परंतु 6000 रु. से कम—950 रु. प्रतिमाह।

5	6	7
गैर चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी :—(1) केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट टिप्पणी :—(2) आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। (निर्धारित अंतिम तिथि नहीं असम, मेघालय, अरुणाचल-प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, लाहौल तथा स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला का पांगी उपमंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के लिए)।	हां

सत्यापित

17-01-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

8	9	10
अनिवार्य : (i) दंत अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 16) की अनुसूची के भाग—I अथवा भाग—II में शामिल अर्हता। (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से दंत-चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) सरकारी अस्पताल में दन्त्य कार्य में 7 वर्ष का अनुभव अथवा प्राइवेट प्रेक्टिस। (iv) दन्त्य परिषद् में पंजीकृत होना चाहिए। टिप्पणी (1):— यदि उम्मीदवार अन्यथा अर्हता प्राप्त हो तो संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी (2):—यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में इन जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो इन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से छूट दी जा सकती है।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष

11	12
पदोन्नति सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	पदोन्नति : सहायक मंडल दंत सर्जन ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के अधिकारी : (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारी अ (ii) 2200-4000 रु. अथवा समदृश वेतनमान में प पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों तथा (ख) कालम "ख" के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों। टिप्पणी : फीडर कोटि के पदोन्नति वाले विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हों प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

सत्यापित
17-12-96
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

12
(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें उसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्येय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा जिसमें अल्प-अवधि ठेका/ स्थानांतरण भी शामिल हैं, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति 1. संबंधित रेलवे का मुख्य कार्मिक अधिकारी —अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा निदेशक —सदस्य 3. मुख्य कार्मिक अधिकारी (भा.रे.) या समान ओहदे वाला कोई अन्य विभागाध्यक्ष, —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
3. वरिष्ठ मंडल दंत सर्जन	10* (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित गैर लिपिकीय	3700-125-4700-150-5000+ निम्नलिखित दरों पर प्रेक्टिस बंदी भत्ता। 3700 रु. और अधिक लेकिन 6000 रु. से कम 950 रु. प्रतिमाह	गैर चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

;

11	12
पदोन्नति अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	पदोन्नति मंडल दंत सर्जन ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा या मंडल दंत सर्जन (वेतनमान 3000-4500 रु.) के रूप में 10 वर्ष की संयुक्त सेवा कर चुके हों तथा सहायक मंडल दंत सर्जन (वेतनमान 2200-4000 रु.) जो मंडल दंत सर्जन के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

सत्यापित
17-01-97
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित राज्य के अधिकारी :— (क) (i) नियमित आधार पर समान पदधारी हो या (ii) 3000-5000 रु. के वेतनमान के पदों पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो या समकक्ष (iii) 3000-4500 रु. के वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो या समकक्ष (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों । अनिवार्य : (i) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 16) की अनुसूची के भाग—I अथवा भाग—II में शामिल अर्हता । (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा समतुल्य से दंत शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री । (iii) सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट प्रेक्टिस में दंत कार्य में 10 वर्ष का अनुभव । (iv) दंत परिषद् में पंजीकृत होना चाहिए । टिप्पणी :—फीडर कोटि के पदोन्नति वाले विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें उसी अथवा केन्द्र सरकार के/या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा जिसमें अल्प-अवधि ठेका/स्थानांतरण भी शामिल है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

13	14
समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड —अध्यक्ष 2. वित्त आयुक्त रेलवे —सदस्य 3. रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य —सदस्य	प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

सत्यापित

17-01-17

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

1	2	3	4	5	6	7
4. वरिष्ठ मंडल दंत सर्जन (कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड गैर-क्रियात्मक प्रवरण ग्रेड)	वरिष्ठ समय वेतन-मान तथा अधिक में 15% पद/पदों की अधिकतम संख्या वरिष्ठ मंडल दंत सर्जन के ग्रेड में कुल संख्या तक सीमित रखी जाए जो कि इस समय 10 है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित गैर-लिपिक वर्गीय	4500-150-5700 रुपये	गैर-चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11	12
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति	पदोन्नति : वरिष्ठ मंडल दंत सर्जन (वेतनमान 3700-5000 रु.) जिन्होंने उस वर्ष के अगले वर्ष की पहली जुलाई से परिकलित ग्रुप 'ए' सेवा के 14वें वर्ष में प्रवेश किया हो, जिस वर्ष सदस्य को भर्ती किया गया था, मंडल दंत सर्जन (वेतनमान 3000-4500 रु.) जो वरिष्ठ मंडल दंत सर्जन के रूप में कार्यरत हैं तथा जिन्होंने मंडल दंत सर्जन के ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए चयन वर्ष से परिकलित सेवा के 10वें वर्ष में प्रवेश किया है, की कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड) में पदोन्नति के बारे में विचार किया जाएगा।

13	14
ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
1 अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड --अध्यक्ष	
2. वित्त आयुक्त, रेलवें --सदस्य	
3. रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य --सदस्य	

सत्यापित
17-01-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

1	2	3	4	5	6	7
5. मुख्य दंत सर्जन	3*(1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित गैर-लिपिकीय	रु. 5900-200-6700 + निम्नलिखित दरों पर प्रैक्टिस बंदी भत्ता। 5999 रु. तक 950 रु. प्रति माह 6000 रु. तथा अधिक के लिए : 1000 रु. प्रतिमाह।	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11	12
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति	पदोन्नति : वरिष्ठ मंडल दंत सर्जन ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा (जिसमें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-गैर क्रियात्मक चयन में सेवा शामिल है, यदि कोई हो) या ग्रुप 'क' पदों में 17 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड) में 4 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए।

13		14
ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति		
1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	—अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
2. वित्त आयुक्त, रेलें	—सदस्य	
3. रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य	—सदस्य	

[सं. 83/ई(जी आर) II/7/105]
डी. पी. त्रिपाठी, सचिव (रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 6th December, 1996

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Railway Medical Department (Dental Surgeon Class II) Recruitment Rules 1969, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in the Railway Medical Service namely:—

1. Short title and commencement :—

(1) These rules may be called the Railway Medical Service (Dental Surgeons) Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

सत्यापित
17-01-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said posts, its classification and eht scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc. .—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification :—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marrtage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. Liability to service in the Defence Services :—

Every person appointed to the said post shall, if so required, be liable to serve in any defence service or post connected with the defence of India, for a period not less than four years including the period, if any, spent on training :—

Provided that any such person :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after expiry of ten years from the date of such appointment.

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty-five years.

7. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category or persons.

8. Reckoning service :—A person recruited to any post under these rules, who satisfies the conditions prescribed in rule 45 of the Railway Service (Pension) Rules, 1993 shall be entitled to the benefits provided in these rules.

9. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-Selection posts	Age limit for direct recruits
1		3	4	5	6
1. Assistant Divisional Dental Surgeon	7*(1996)	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	2200-75-2800-EB-100-4000 Plus Non practicing allowance at the following rates **	Not applicable	Not exceeding 35 year NOTE I ; Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued be the Central Government NOTE II ; The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications

*Subject to a variation dependent on workload.
The posts in Junior Time Scale and Senior Time Scale may be operated interchangeably with a combined strength of 15.

सत्यापित
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

4	5	6
@@Below Rs. 3000 Rs. 3000 and above but below Rs. 3700—Rs. 850/- p.m. Rs. 3700 and above but below Rs. 6000—Rs. 950/- p.m.	Rs. 600/- p.m.	from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District: of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 45 of Railway service (Pension) Rules 1993	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age limit and educational qualifications prescribed for direct recruits will appiy in the case of promotees.
7	8	9
Yes	Essantial ; (i) A degree included in Part I or Part II of Schedule to the Dentist's Act, 1948 (Act 16 of 1948) ; (ii) 3 years experience of dental work in a hospital or in private practice; (iii) Should be registered with a Dental Council. NOTE I : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Srevice Commission in case of candidate otherwise well qualified. NOTE II : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them. DESIRABLE : Post graduate qualifications in dentistry from a recognised University or equivalent.	Not applicable

सत्यापित
17-01-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
10	11	12
1 year for direct recruits	Direct recruitment NOTE : The suitability of the regular holder of the post of Assistatnt Divisional Dental Surgeon in the pre-revised scale of Rs. 650—1200 prior to upgradation of this Post in the scale of Rs. 2200—4000 (Revised) will be initially assessed by the Commission for appointment to the upgraded post. If assessed 'Suitable' they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'Not suitable' for appointment to the upgraded scale of pay, they shall continue to be in the revised scale of Rs. 2000—3500 and their case would be reviewed every year.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation) 1. Chief Personnel Officer of the concerned Railway—Chairman. 2. Chief Medical Director—Member. 3. Chief Personnel Officer (IR or any other Head of the Department of equivalent status)—Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6
2. Divisional Dental Surgeon	8 *(1996) *Subject to variation dependnet on work load. The posts in Junior time Scale and Senior Time Scale may operated inter-changeably with a combined strength of 15.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	3000-100-3500-125-4500 Plus non-practicing allowance at the following rates: Rs. 3000 and above but below Rs. 3700—Rs. 850/- p.m. Rs. 3700 and above but below Rs. 6000—Rs. 950/-p.m.	Non-Selection	Not exceeding 40 years. NOTE I : Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. NOTE II : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from

सत्यापित
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

1	2	3	4	5	6
					candidates in India. (And not the closing date prescribed. for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9
YES	ESSENTIAL (i) A qualification included in Pt. I or Pt. II of Schedule to the Dentist's Act, 1948 (Act 16 of 1948); (ii) A post graduate degree in Dentistry from a recognised University/Institution or equivalent.; (iii) 7 years experience in Dental work in a Government Hospital or private practice; (iv) Should be registered with a Dental Council. NOTE I : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. NOTE II : The qualification regarding experience in relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Publice Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No

सत्यापित
17-01-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

10	11	12
1 year for direct recruits	Promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment	Promotion : Assistant Divisional Dental Surgeon with 4 years regular service in the grade. Transfer on deputation Officers under the Central/State Governments/ Union territories; (a)(i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with 5 years regular service in posts in pay scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column. 8. NOTE : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee : 1. Chief Personnel Officer of the concerned Railway—Chairman 2. Chief Medical Director—Member 3. Chief Personnel Officer (IR) or any other Head of the Department of equivalent status—Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

सत्यापित

17-01-19

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

1	2	3	4	5	6
3. Senior Divisional Dental Surgeon	10* (1996)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150-5000 Plus Non Practicing allowance at the following rates: Rs. 3700 and above but below Rs. 6000: Rs. 950/- p.m.	Non-Selection	Not applicable
*Subject to variation dependent on workload.					

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12
Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation	Promotion: Divisional Dental Surgeons with 6 years regular service in the grade or on completion of 10 years combined regular service as Divisional Dental Surgeon (pay scale Rs. 3000—4500) and Assistant Divisional Dental Surgeon (Pay scale Rs. 2200—4000) of which 2 years' regular service should be as Divisional Dental Surgeon. Transfer on Deputation: Officers of the Central/State Governments/ Union Territories; (a)(i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with 4 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 3000—5000 or equivalent; or (iii) with 5 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 3000—4500 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience; ESSENTIAL: (i) A qualification included in Part I or Part II of the Schedule of Dentist Act, 1948 (Act 16 of 1948) (ii) A post graduate degree in Dentistry from a recognised Institution or equivalent; (iii) 10 years experience in Dental work in a Govt. Hospital or private practice. (iv) Should be registered with the Dental Council.

सत्यापित

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

	12
	NOTE ; The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointmet on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputatio n shall be not exceeding 56 years on the closing date of receipt of applications).

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee 1. Chairman, Railway Board—Chairman 2. Financial Commissioner for Railways—Member 3. Other Members of the Railway Board—Members	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Transfer on Deputation.

1	2	3	4	5	6
4. Senior Divisional Dental Surgeon (JAG non-functional Selection Grade)	15% of posts in Senior time scale and above. Maximum number of posts to be limited to the total strength in the grade of Senior Divisional Dental Surgeon which is at present 10.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-150-5700	Non-Selection	Not applicable

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

सत्यापित

17-01-19

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

10	11	12
Not applicable	Promotion	Promotion
		Senior Divisional Dental Surgeons (pay scale Rs. 3700—5000)who have entered 14th year of Group 'A' service on the 1st July of the year calculated from the year following the year in which the member was recruited. Directly recruited. Divisional Dental Surgeons (pay scale Rs.3000—4500) who are working as Senior Divisional Dental Surgeon and have entered 10th year of service calculated from the year of selection for direct recruitment in the grade of Divisional Dental Surgeon will be considered for appointment to JAG (Non-functional Selection grade).

13	14
Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee: 1. Chairman, Railway Board—Chairman 2. Financial Commissioner for Railways—Member 3-6. Other Members of the Railway Board—Members.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4	5	6
5. Chief Dental Surgeon	3*(1996)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	5900-200-6700 plus Non practicing allowance at the following rates: Upto Rs. 5999/- : Rs. 950 p.m. for Rs. 6000/- and above: Rs. 1000/- p.m.	Selection	Not applicable
*Subject to variation dependent on workload.					

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

सत्यापित

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

10	11	12
Not applicable	Prom otion	Promotion: Senior Divisional Dental Surgeons with 8 years regular service in the grade (including service if any, in the JAG Non-Functional Selection Grade) or 17 years' regular service in Group 'A' posts of which 4 years regular servic should be in the Junior Administrative grade/JAG (Non-functional selection grade)

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee: 1. Chairman, Railway Board—Chairman 2. Financial Commissioner for Railways—Member 3-6. Other Members of the Railway Board—Members.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 83/E(GR)II/7/105]

D.P. TRIPATHI, Secy. (Railway Board)

सत्यापित
17-01-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996